RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-01
January -2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

बिहार में अनुसूचित जाति की सामाजिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Dr. Pranita Kumari

Lecturer, Kamleshwari Prasad Singh Teacher Training College, Tekabigha, Bakhtiyarpur, Patna (Bihar)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 20 January 2019

Keywords
अनुसूचित जाति, आर्य, वर्ण, वंचित वर्ग, राजनीतिक संघर्ष

ABSTRACT

भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति ईसा पू0 1500 में आर्यों के आगमन से होती है। आर्यों ने भारत आगमन के बाद कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित किया। आर्यों ने स्वयं को तीन समूहों में संगठित किया। जिनमें से सर्वप्रथम समूह योद्धाओं का था, जो स्वयं को 'राजन्या' कहते थे। कालान्तर में 'राजन्या' क्षेत्रीय कहलाये। दूसरा समूह धार्मिक कार्यों में संलग्न पुरोहितों और संतों का था जिसे 'ब्राह्मण' कहा जाता था। नेतृत्व के लिए दोनों समूहों में कई राजनीतिक संघर्ष हुए और अन्ततः इसमें ब्राह्मण सफल हुए। आर्यों का तीसरा समूह किसानों और कामगारों का था जो वैश्य कहलाये। आर्यों ने भारत के विभिन्न हिस्सों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर स्थानीय लोगों को अपने अधीन करना आरंभ किया। इन तीनों समूहों के मध्य एक शुद्र वर्ण भी था जो समाज के विभिन्न कार्यों जैसे मलमूत्र और मृत पशुओं को निकालने वाला सामान्य व्यक्ति था। शुद्र भी दो समुदायों में विभक्त थे। पहले में ऐसे स्थानीय व्यक्ति थे जो आर्यों के अधीन थे और दूसरे जिन्होने आर्यों को अपना वंशज स्वीकार किया। इस प्रकार प्राचीन भारत में विभिन्न उपजातियाँ पैदा होने लगी। समाज अन्ततः चार वर्णों में विभक्त हुआ– ब्राम्हण, क्षेत्रीय, वैश्य और शुद्र। समाज की यह व्यवस्था धीरे–धीरे वैयक्तिक असमानताओं में बदलते गये और शुद्र समाज के सबसे उपेक्षित वर्ण समझे गए। आजादी के साथ–साथ और स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में व्याप्त इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए अनेकानेक आंदोलन हुए और नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन कर समाज की इस खाई को पाटने की लगातार कोशिश भी किये गए। इस शोध–आलेख में सबसे उपेक्षित और वंचित वर्ग की सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन विशेष रूप से बिहार राज्य की अनुसूचित जातियों की सामजिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन में बिहार की अनुसूचित जातियों की सामजिक स्थिति द्वारा विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है।

अध्ययन प्रविधि :

प्रस्तुत अध्ययन विश्लेषणात्मक है। अध्ययन में केन्द्रीय विषय के अन्तर्गत बिहार की अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण किया जायेगा। इस अध्ययन में बिहार सरकार द्वारा मुख्य रूप से इन समुदायों के सामाजिक उत्थान और विकास के लिए किये गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया है। केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए प्रायोजित योजनाओं और इनके सर्वांगीण विकास के लिए राज्यों को प्राप्त निर्देश का भी विवरण इस आलेख में अपेक्षित है। शोध–आलेख में तथ्यों का संकलन मुख्यतः द्वितीयक स्त्रोतो पर आधारित है। विभिन्न शोध पत्र एवं पत्रिकाओं, शोध–ग्रन्थों तथा बिहार एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी रिपोर्ट का गहन अवलोकन कर तथ्यों एवं सूचनाओं का संकलन किया गया है। अध्ययन एवं इससे प्राप्त निष्कर्ष अनेक पहलुओं से लाभकारी होंगे।

विश्लेषण :

अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास और उत्थान के लिए संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। मूलतः यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है, जो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करे तथा उनसे संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे। उसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त कहा जायेगा तथा उसे उक्त कार्य सौंपे जायेंगे। 1990 के 65वें संविधान संशोधन अनिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गयी। इस संवैधानिक आयोग ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त के साथ ही 1987 में सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान लिया। पुनः 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग का दो भागों में विभाजन कर दिया गया तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338क के अन्तर्गत नामक दो नये आयोग बना दिये गये।

अनुच्छेद 338 में उपबंधित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रमुख कार्य अनुसूचित जातियों के सामाजिक विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण के समय सहभागिता निभाना एवं उचित परामर्श देना तथा संघशासित प्रदेश एवं

RRIJM 2015, All Rights Reserved

अन्य राज्यों में उनके विकास से संबंधित कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 341 यह उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल के परामर्श से लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों को अनुसूचित जातियों की सूची से अपवर्जित कर सकेगा।

संविधान के अनुच्छेद 341 में कुल 1284 अनुसूचित जातियों को अधिसूचित किया गया है। जिनमें से 23 बिहार के अनुसूचित जाति सूचीबद्ध हैं। भारत में अनुसूचित जातियों की कुल 201378372 है। जिनमें से बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 16567325 यानि 15.9 प्रतिशत हैं। इनमें से पुरूष और स्त्रियों की कुल संख्या क्रमशः 8606253 और 7961072 है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 15344215 अनुसूचित जाति हैं। इनमें से 7964360 यानि 51.90 प्रतिशत पुरूष और 7379855 यानि 48.10 प्रतिशत स्त्री है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में इनकी संख्या 1223110 है। जिनमें से पुरूष और स्त्री की कुल जनसंख्या क्रमशः 641893 अर्थात 51.95 प्रतिशत और 581217 अर्थात 48.05 प्रतिशत है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के सामाजिक उत्थान के लिए कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जैसे– अनुसूचित जाति के छात्रों को वृत्तिकाएँ प्रदान करना, पुस्तकों तथा उप–साधनों के लिए अनुदान, अनुसूचित जाति के लिए छात्रावास खोलना तथा उसका प्रबंध करना, बिहार हरिजन (सिविल निर्योग्यता अपनयन) अधिनियम, बिहार हरिजन (रिमूवल ऑफ डिलेबिलीटीज ऐक्ट) तथा अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये अन्य योजनओं का कार्यान्वयन। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष गृह–निर्माण योजनाए इत्यादि।

राज्य अनुसूचित जाति आयोग :

राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के सम्यक विकास हेतु कृत संकल्प है। एक कल्याणकारी सरकार के रूप में राज्य सरकार का दायित्व है कि वह समतामूलक समाज की स्थापना हेतु समाज के अत्यंत कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु कल्याणकारी कार्य करे तथा समाज में सदियों से उपेक्षित और शोषित वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। इस परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास एवं अभिवृद्धि तथा उनके रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करने के लिए बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है।

बिहार सरकार इस समुदाय के सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। अनुचित जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य में अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय कार्यरत है। वर्ष 2018 में अनुसूचित जाति को नौकरी में पदोन्नति द्वारा आरक्षण देने की घोषणा सरकार द्वारा की गई। सरकार की ओर से यह निर्णय सात सदस्यीय उच्चतर अधिकारियों की समिति के रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उपलब्ध आवासीय विद्यालय को अपग्रेड कर लगभग 2244 अनुसूचित जाति समुदाय से शिक्षक और 1499 अ–अशिक्षक कर्मचारियों को नियुक्त करने का निर्णय भी लिया गया। समाज में इन्हें समानता की स्थिति देने के लिए विवाह के लिए जातिगत सीमाओं को समाप्त कर दिया गया है। अनुसूचित जाति की स्त्री को किसी उच्च जाति के पुरूष के साथ वैवाहिक संबंध को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार इन समुदायों को प्रोत्साहन राशि मुहैया करा रही है।

बिहार की प्रमुख अनुसूचित जातियाँ और उसकी आबादी
(जनगणना 2011 के अनुसार)

जाति	जनसंख्या	पुरुष	स्त्री
चमार, मोची, चमार–रैदास, चमार–रविदास, चमार–रोहिदास, चरमाकर	4,900,048	2546413	2353635
चौपाल	79,728	41,487	38,241
डबगर	5,488	2831	2657
धोबि, रजक	747,528	390620	356,908
दुसाध, धारि, धरहि	4,945,165	2582993	2362172
घासी	354	197	157
हलखोर	5435	2846	2589
हरि, मेहतर, भंगी	207,549	107,174	100,375
कंजर	2760	1415	1345
मुशहर	2,725114	1,407,557	1,317,557
पासी	880738	455961	424,777

बिहार राज्य की कुल 23 अनुसूचित जातियों को संविधान के अनुच्छेद 341 में अधिसूचित किया गया है। अनुसूचित जातियों में चमार, मोची, चमार–रैदास, चमार–रविदास, चरमाकर, चौपाल, डबगर, धोबी,रजक, घासी, हलखोर, हरि, मेहतर, भंगी, कंजर, मुशहर और पासी प्रमुख हैं। उपरोक्त सारणी इस समुदाय के प्रमुख जातियों की कुल जनसंख्या को जातिवार पुरूष और स्त्री की अद्यतन जनसंख्या को दर्शित करते हैं। प्रस्तुत आंकड़ों का आधार भारत की जनगणना, 2011 है।

भारत की कुल साक्षरता दर में अनुसूचित जाति के समुदायों का साक्षरता प्रतिशत
(1961 से 2011 तक)

वर्ष	कुल साक्षरता दर	अनुसूचित जाति का साक्षरता दर
1961	28.3	10.27
1971	34.5	14.67
1981	43.6	21.38
1991	52.2	37.41
2001	64.8	54.7
2011	73.0	66.1

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट करता है कि अनुसूचित जातियाँ शिक्षा प्राप्त करने के प्रति सचेत है। वर्ष 1961 के जनगणना के आधार पर भारत में कुल साक्षरता दर 28.3 प्रतिशत था। अनुसूचित जातियों के समुदाय से 10.27 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर थे। 1971 में इसमें बढ़ोतरी देखा गया है और अनुसूचित जातियों के कुल साक्षरता दर यानि 34.5 प्रतिशत का 14.57 प्रतिशत साक्षरता का दर बिहार मे था। 1981 से 1991 में यानि दस वर्षों में साक्षरता दर में पुनः वृद्धि हुई। इन वर्षों में बिहार की अनुसूचित जातियों के समुदाय में साक्षरों की संख्या में वृद्धि हुई और साक्षरता दर क्रमशः 21.38 प्रतिशत एवं 37.41 प्रतिशत हुए। भारत में अनुसूचित जातियों में लगातार साक्षर होने का दर बढ़ता गया और 2011 की जनगणना यह स्पष्ट करता है कि कुल 73.0 प्रतिशत साक्षरता दर में से बिहार की अनुसूचित जातियों का साक्षरता दर 66.1 प्रतिशत रहा।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों का साक्षरता प्रतिशत

ग्रामीण साक्षरता दर			शहरी साक्षरता दर		
कुल साक्षर	पुरूष	स्त्री	कुल साक्षर	पुरूष	स्त्री
47.7	57	37.4	60.06	69.0	51.3

2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के समुदायों के 76.4 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में जबकि 23.6 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। यदि जनगणना 2001 के रिपोर्ट से इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति के समुदायों की कुल आबादी का ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निवास करनेवाले में क्रमशः 79.6 प्रतिशत और 20.4 प्रतिशत थे। भारत में अनुसूचित जाति के समुदायों की कुल जनसंख्या का 20.0 प्रतिशत झुग्गी आबादी में से 21.0 प्रतिशत हिस्सा बिहार में है। बिहार ऐसा 13वॉ राज्य है। जबकि सर्वाधिक 39.8 प्रतिशत पंजाब में और सबसे कम यानि 0.1 प्रतिशत मिजोरम में है।

बिहार में अनुसूचित जातियों में साक्षरता दर (प्रतिशत में)

जाति	जनसंख्या	पुरूष	स्त्री
चमार, मोची, चमार–रैदास, चमार–रविदास, चमार–रोहिदास, चरमाकर	53.5	64.1	41.8
चौपाल	43.9	55.4	31.2
डबगर	62.5	71.5	53.0
धोबि, रजक	63.2	73.4	51.9
दुसाध, धारि, धरहि	53.2	63.1	42.2
घासी	52.9	63.1	38.8
हलखोर	63.4	74.4	51.3
हरि, मेहतर, भंगी	59.6	68.7	49.9

कंजर	26.8	32.3	20.9
मुशहर	29.0	34.6	22.9
पासी	59.1	69.1	48.3

सारणी में बिहार की प्रमुख अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रतिशत और पुरूष– स्त्रियों में साक्षरता दर को अलग–अलग दर्शाया गया है। अनुसूचित जातियों में चमार, रैदास, चमार–रविदास, चमार–रोहिदास और चरमाकर की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 53.5 है। जिनमें से पुरूष और स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 64.1 प्रतिशत और 41.8 प्रतिशत है। चौपाल जाति के कुल 43.9 प्रतिशत आबादी में 55.4 प्रतिशत पुरूष साक्षर हैं। जबकि स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत 31.2 है। डबगर और धोबी, रजक की कुल जनसंख्या यानि क्रमशः 62.5 प्रतिशत और 63.2 प्रतिशत में से पुरूष और स्त्रियों की साक्षरता दर क्रमशः 71.5 प्रतिशत, 53.0 प्रतिशत और 73.4 प्रतिशत, 51.9 प्रतिशत है। दुसाध जाति के विभिन्न संवर्गों में पुरूष और स्त्री साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 63.1 और 42.2 प्रतिशत है। इसी प्रकार हलखोर, मुशहर और पासी की जनसंख्या क्रमशः 63.4 प्रतिशत,29.0 प्रतिशत और 59.1 प्रतिशत है। जिनमें से पुरूष–स्त्री साक्षरता दर क्रमशः 74.4 और 51.3 प्रतिशत (हलखोर), 34.6 और 22.9 प्रतिशत (मुशहर) और 69.1, 48.3 प्रतिशत (पासी) है। भारत की जनगणना 2011 की रिपोर्ट से यह आँकड़े संकलित किये गए हैं।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार अधिनियम, 1989) के द्वारा अनुसूचित जातियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु केन्द्र द्वारा सहायक अनुदान प्राप्त होते रहे हैं। केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट से प्राप्त स्त्रोतों के आधार पर (दिनांक 31.03.2018 तक) वर्ष 2017–18 में केन्द्र से कुल रु 35586 लाख सभी राज्यों के लिए स्वीकृत किये गये। जिनमें से बिहार को कुल रु1506.7 लाख प्राप्त हुए। इसी प्रकार सन् 2015–16 और 2016–17 में क्रमशः 11907 लाख रूपये और 22256 लाख रूपये राज्यों के लिए आवंटित किये गये। जिनमें से बिहार राज्य के लिए क्रमशः 728 लाख और 950 लाख रूपये का आवंटन किया गया।

इसी प्रकार वार्षिक योजना 2018–19 में बिहार के अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक विकास के लिये कुल 3670.46 करोड़ रूपये, आर्थिक क्षेत्र के लिए 377.40 करोड़ रूपये, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए 1453.72 करोड़ रूपये जबकि पुनर्वास के लिए 200 करोड़ रूपये क्षेत्रवार आवंटित किये गए।

वैवाहिक स्थिति एवं धर्मः

अनुसूचित जातियों की कुल आबादी के 45.5 प्रतिशत लोग विवाहित हैं। जबकि 3.3 प्रतिशत विधवा और 0.1 प्रतिशत उपेक्षित और तलाकशुदा हैं। 18 वर्ष से कम उम्र की 4.4 प्रतिशत लड़कियाँ विवाहित है और 5.3 प्रतिशत वैसे लड़के जो 21 वर्ष से कम आयु के हैं अविवाहित हैं। यह दर राष्ट्रीय स्तर के प्रतिशत क्रमशः 2.8 और 3.1 प्रतिशत की तुलना में उच्च है। यहाँ अधिकांश अनुसूचित जाति हिन्दु धर्म में आस्था रखते हैं। लगभग शत–प्रतिशत यानि 99.9 प्रतिशत हिन्दू हैं। जबकि .04 प्रतिशत बौद्ध एवं अन्य धर्मों को मानने वाले हैं।

जीविका के साधन :

इस समुदाय के अधिकांश व्यक्ति कृषि पर निर्भर है। इनके जीविकोपार्जन का साधन कृषि है। ये भूमिहीन कृषक हैं। हालांकि पिछले दशकों में सरकार से प्राप्त आरक्षण नीतियों का बड़े पैमाने पर लाभ उठाकर इस समुदाय के अधिकतर व्यक्ति सरकारी सेवा में न केवल नियुक्त हुए बल्कि पदोन्नत भी हुए हैं। कृषि कामगारों की संख्या लगभग 78 प्रतिशत है। यानि अनुसूचित जाति के तीन चौथाई लोग कृषि कार्यों में संलग्न हैं।यह राष्ट्रीय स्तर की दर 45.6 प्रतिशत से उच्च है। 11.2 प्रतिशत अन्य कामगार हैं। प्रमुख अनुसूचित जातियों में मुशहर का अनुपात कृषि कामगारों में सर्वाधिक है। जबकि चमार और दुसाध अन्य कामगार हैं। कमोबेश यह स्थिति धोबी और पासी की भी है।

निष्कर्षः

प्रस्तुत अध्ययन दर्शित करता है कि बिहार राज्य में अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति उत्तरोत्तर सुदृढ़ हो रही है। सांविधानिक उपबंधों ने इन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में काफी सहयोग किया है। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए नौकरी, पदोन्नति इत्यादि क्षेत्रों में आरक्षण नीति का प्रावधान इनके उत्थान में लाभकारी साबित हुए हैं। राज्य की सरकार ने अनुसूचित जातियों को दलित और महादलित में श्रेणीकृत किया है। जिससे इन समुदायों में अत्यंत वंचित, शोषित और उपेक्षित वर्गों की पहचान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। अनेक पहलुओं से अनुसूचित जातियों की सामाजिक प्रास्थिति में उन्नति इनके सामाजिक विकास के परिचायक हैं।

ग्रन्थ सूची :

1. Chakraborty & P.K. Ghosh : Human development Profile of Scheduled castes & Tribes in selected states, New Delhi, NCAER, 2000.
2. Chatterjee, S.K. : Scheduled castes in India, Vol. IV, New Delhi, Gyan prakashan,1996.

RRIJM 2015, All Rights Reserved

3. Report of the Task group on Development of Scheduled castes and Scheduled Tribes, Government of India, Planning Commission,2005.
4. Handbook on Social welfare Statistics ; Government of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Social Justice & Empowerment Plan Division, New Delhi, September,2018.
5. Bihar Data highlights : The Scheduled castes, Office of the Registrar General, India.
6. भारत की जनगणना, 2011
7. लक्ष्मीकान्त, एम. : भारत की राज्यव्यवस्था, मैकग्रॉ हिल्स एडुकेशन इण्डिया (प्रा.) लि., चेन्नई, तमिलनाडु.
8. उपाध्याय, डा. जय जय नारायण : भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद.

RRIJM 2015, All Rights Reserved